Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

...लय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

विकेश कुमार बनाम कृष्णलाल आदि

...स्म मुकदमाः– **251क राज.काश्तकारी अधिनियम 1955** प्रकरण संख्याः **01** सन् **2025**

GCMS :- 2025/14

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
28/04/25	आज यह पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण के तथ्य सक्षेप मे इस प्रकार से है कि प्रार्थी के पिता के नाम से जमाबंदी संवंत 2073 ता 76 के खाता संख्या 6/7 के पत्थर नम्बर 22/50 मु.न. 43 के किला नम्बर 14 ता 25 में 3.036 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 22/52 मु.न. 61 में किला नम्बर 1 ता 4, 7 ता 11, 19 ता 21/3 में 2.9730 हैक्टेयर कं., 0.025 खाला, 0.0380 अ.क. कुल 6.0720 हैक्टेयर मय खाला दर्ज राजस्व रिकार्ड होकर पूरे परिवार के कब्जा काश्त में चली आ रही हैं। उक्त रकबा के उतर वाले चिपता पत्थर नम्बर 22/51 के पूर्व वाले पत्थर नम्बर 22/59 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 पर रास्ता प्रत्येक बीघा में 2–2 बिस्वा यानि 0.0250 हैक्टेयर प्रत्येक बीघा में रास्ता स्वीकृत हैं जो किला नम्बर 21 में पत्थर लाईन पर आकर रूक जाता हैं व पत्थर नम्बर 22/60 में रास्ता नहीं हैं व पत्थर नम्बर 22/61 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में फिर रास्ता स्वीकृतशुदा हैं। प्रार्थी व उसके परिवार के सदस्य पत्थर नम्बर 52/59 मु.न. 51 के किला नम्बर 21 में जहां रास्ता समाप्त होता हैं वहां से पत्थर नम्बर 22/51 मु.न. 50 के किला नम्बर 25 के दक्षिणी कोने से पत्थर लाईन के साथ किला नम्बर 24 के अन्दर 16½× 16½ फिट में से अपने स्वंय के खेत पत्थर नम्बर 24/52 मु.न. 61 के किला नम्बर 4 में प्रवेश करके अपने खेत तक बहुत वर्षो से आना जाना कर रहा हैं व यहीं रास्ता प्रार्थी स्वीकार करवाना चाहता हैं। चाहे जाने वाले रास्ते के अलावा प्रार्थी एवं उसके परिवार के सदस्य को अपने खेत में जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं हैं इसलिए चाहे जाने वाला रास्ता अत्यान्तिक आवश्यक हैं , ना कि सुविधा के लिए हैं। चाहे जाने वाला रास्ता स्वीकार नहीं किया गया तो प्रार्थी व उसके परिवार के सदस्य अपने खेत की जुताई करने से पूरी तरीके से वंचित हो जायेगे। प्रार्थी चाहे जाने वाले रास्ता स्वीकार करने पर नियमानुसार भूमि की डी.एल.सी. दर से रेट अदा करने के लिए सदैव तैयार व तत्पर रहेगा। विकल्प के रूप में जो भी आदेश अदालत देगी वह स्वीकार होगा। अतः निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाकर चक 3 बी.पी.एम. के पत्थर नम्बर 22/51 के किला नम्बर 25 के दक्षिण साईड में पत्थर लाईन के चिपते हुए किला नम्बर ... किला नम्बर 24 में पत्थर लाईन के चिपते हुए किला ... 25 से आगे 16½× 16½ फिट का रास्ता ... ताकि प्रार्थी इसी चक के अपने खेत पत्थर नम्बर 22/52 के किला नम्बर 4 में प्रवेश कर सके। प्रकरण दर्ज होने के बाद अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपना जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया तथा अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद तामील हाजिर नहीं आया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.01 17:59:10 IST
Reason: SelfAttested

20.04.25

(प्र.सं. 01/2025, विकेश कुमार बनाम कृष्णलाल आदि)

उभय पक्ष की बहस सुनी गई तथा बहस पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध जमाबन्दी व प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार प्रार्थी के खातेदारी रकबा हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हैं, प्रार्थी को रास्ता की अत्यांतिक आवश्यकता हैं। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता चक 3 बी. पी.एम. के पत्थर नम्बर 22/51 के किला नम्बर 25 में 0.025 हैक्टेयर (दक्षिण साईड में पूर्व से पश्चिम) तथा किला नम्बर 24 में दक्षिणी पूर्वी कोना में 16½× 16½ फिट यानि 0.0025 हैक्टेयर कुल 0.0275 हैक्टेयर भूमि हैं। उक्त रकबा अप्रार्थी सख्या 2 ग्राम पंचायत 1 एल.एम. के नाम से दर्ज हैं तथा प्रार्थी के रकबा के सबसे समीपस्थ प्रस्तावित रास्ता यही हैं, कानून की मंशा के अनुसार सबसे समीपस्थ रास्ता ही स्वीकृत किया जाना चाहिए। इसलिए प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता डी.एल.सी. की दुगनी दर पर स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी का स्वीकार किया जाता है तथा चक 3 बी.पी.एम. पटवार हल्का 2 जीडीएम(गोविन्दसर) तहसील सूरतगढ़ की अंतिम चौसला आधार संवंत 2073–2076 जमाबंदी 2077(वर्ष 2021) से स्थायी के खाता संख्या 105 नया, 86 पुराना के पत्थर नम्बर 22/51 के किला नम्बर 25 में 0.025 हैक्टेयर (दक्षिण साईड में पूर्व से पश्चिम) तथा किला नम्बर 24 में दक्षिणी पूर्वी कोना में 16½× 16½ फिट यानि 0.0025 हैक्टेयर कुल 0.0275 हैक्टेयर भूमि को गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया जाता हैं। उक्त रास्ता की 0.0275 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि की वर्तमान डी.एल. सी. दर की दुगनी राशि प्रार्थी से जमा करवाई जावे तथा अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा भविष्य में मांग करने उक्त राशि अप्रार्थी संख्या 2 को दी जावे। राशि जमा होने पर उक्त अनुसार तहसीलदार सूरतगढ़ रिकार्ड जमाबंदी में अंकन करे व मौका पर अगर रास्ता बंद हो तो उसे खुलवाने की कार्यवाही करें। तहसीलदार सूरतगढ़ के नाम तहरीर जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 30.04.2025 को सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.01 17:59:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)